



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 150392 / सी-6 / सी. / 344 / 2020

Dated 30.6.2020

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001.

Sub: Regarding submission of compliance report of Hon'ble, New Delhi order dated 03.03.2020 in O.A. No. 989/2018 Shivansh Pandey Vs. State of UP.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of order dated 03.03.2020 the compliance report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

(N.K. Chauhan)
Chief Environment Officer
(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Compliance report of order dated 03.03.2020 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no. 989/2018 Shivansh Pandey Vs. State of Uttar Pradesh.

That the relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 989/2018 is as follows.

".....Let further necessary action be taken in the matter and a further status report as on 30.06.2020 filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order be sent to CPCB and State PCBs/PCCs by email.

List for further consideration on 15.07.2020.....".


1. That in compliance of order dated 03.03.2020, inspection of Railway Goods Siding, Faizabad was made by RO, Ayodhya on dated 26.06.2020. At the time of inspection Sri O.P. Pandey, Chief Goods Superintendent, Northern Railway, Ayodhya was present as representative of Railway. Detail inspection report is as given below.
2. That the O.A. No. 989/2018 is related to pollution at and around Railway Goods Siding, Faizabad. In the course of loading and unloading of cement, fertilizaer, grains and other bagged commodities on trucks from Railway Wagon which causes air pollution and ultimately causing respiratory problems to the habitants of nearby residential area mainly Neel Vihar colony, Ramnagar, Faizabad which is situated after the Southern Boundary Wall of Railway Goods Siding, Faizabad.
3. That the Railway Goods Siding No. 10 is situated in the North Direction of Neel Vihar Colony, Ramnagar, Faizabad at a distance of approximately 30-50 meters. Railway Siding No. 10 is nearest to the Neel Vihar Colony. Any shed has not been made by Railways. Loading and Unloading of Cement, Fertilizer, Grains and other bagged commodities are made in open to sky. For the movement of trucks pucca road has not been made by Railways towards Railway Siding No. 10. Neel Vihar Colony is a residential colony of Nagar Nigam, Ayodhya.
4. That at time of inspection it was found that Railway has installed a display board near Railway Goods Siding, Faizabad for making aware to general public and workers for the control of air pollution arising from the loading and unloading of Goods such as cement, fertilizer, grains and other bagged commodities. Photograph of display board is annexed as **annxure-01**.
5. That the during inspection it was found that height of Southern Boundary Wall has been raised up to approximately 10 feet from ground level with the help of G.I. sheets. Photograph annexed as **annxure-02**.


S.A.


Tech. Consultant

6. That the plantation in the width of approximately 3-5 meters has been made along the Southern Boundary Wall of Railway Goods Siding. Approximately 125-150 plants have been planted. Photograph annexed as **annxure-03**.
7. That the any permanent arrangement has not been made for sprinkling of water on the Railway Goods Siding No. 10.
8. That the any Covered/Open shed has not been made by Railways for Railway Siding No. 10. Pucca road for the movement of trucks on Railway Siding No. 10 has not been made by Railway.
9. That the arrangement made by Railways for control of air pollution at Railway Goods Siding, Faizabad is not sufficient for controlling the air pollution arising due to loading and unloading of commodities and movement of vehicles. Arrangement made by Railways for mitigation of fugitive emission generated from loading/unloading of commodities and movement of vehicles is not technically adequate. For control of fugitive emission from loading and unloading of commodities covered shed with central ducting system equipped with bag filter and a stack of suitable height is required. Fugitive emission escaped from the said air pollution control arrangement may be mitigated from permanent sprinkling arrangement which shall be installed near the boundary wall located towards Neel Vihar Colony.
10. That the previously ambient air quality near Railways Goods Siding, Faizabad was monitored by Regional Office Laboratory on dated. 31.05.2019. As per monitoring report value of R.S.P.M. was found 590.23microgram/m³ which is beyond the stipulated Norms. Copy of monitoring report dated. 31.05.2019 is annexed as **annexure-04**.
11. That the ambient air quality near Railway Goods Siding Faizabad was monitored by Regional Office on dated 20.05.2020 As per monitoring report value of R.S.P.M. was found 537.53 microgram/m³ which is beyond the stipulated Norms. Copy of monitoring report dated. 20.05.2020 is annexed as **annexure-05**.
12. That the any information regarding deposition of Environmental Compensation Rs. 91.2 lacs has not been made available to this office by Railways. Letter has been issued by UPPCB dated 10.09.2019, 23.10.2019, 25.11.2019, 09.01.2020 and 28.02.2020 to District Magistrate, Ayodhya for recovery of E.C. amount Rs. 91.2 lacs as land revenue from Railway Goods Siding, Faizabad. Information regarding recovery of E.C. amount from Railways Goods Siding, Faizabad is still awaited from District Administration, Ayodhya. Copy of letter dated. 10.09.2019,

RPM
S.A.



Tech. Consultant² -

23.10.2019, 25.11.2019, 09.01.2020 and 28.02.2020 are annexed as **annexure-06**.

13. That the as per office records Railways Goods Siding, Faizabad has not applied for obtaining consent to operate under section 21/22 of Air (Prevention of Control of Pollution), Act 1981 and its amendments.
14. That the as per office records Railways Goods Siding, Faizabad has not applied for obtaining consent to operate under section 25/26 of Water (Prevention of Control of Pollution), Act 1974 and its amendments.
15. That the during inspection, visit of Neel Vihar Colony, Ramnagar, Faizabad was also made. During visit resident of Neel Vihar Colony told that problems of air pollution from Railway Goods Siding, Faizabad is still persisting. Arrangement made by Railways is of no use. Written Statement of resident of Neel Vihar Colony, Ramnagar, Faizabad is annexed as **annexure-07**.

During inspection it was found permanent water sprinkling arrangement was not made on site. Pucca road was not made for movement of heavy vehicles. The ambient air quality report date- 20.05.2020 indicates that arrangement by railway is not sufficient to mitigate air pollution because value of R.S.P.M. is beyond the stipulated Norms.


S.A.


Tech. Consultant

अतिआवश्यक


सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें, जिससे रेलवे साइडिंग पर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके—

- All Consignees have been instructed that their labour involved in the Unloading should be provided mask and may be discouraged in using of hooks.
- They Should be strictly ensured that all the trucks should be fully covered.
- It should be ensured by them that there should be minimum movement of trucks at the approach point of siding.
- The bags consignments should be handled carefully by them.
- Consignee had been instructed to ensure the removal of their consignment expeditiously so that no pollutant remains in the railway sidings.


स्ेशन अधीक्षक
30 रो, फेजाबाद

4

Armyville-2



Annexure - 03



Annexure 04

**REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
AYODHYA**

**AMBIENT AIR QUALITY MONITORING
DATA SHEET FOR PRATICULATE MATTER (Size less then 10 um) or PM₁₀**

Name of Industry & Place - House of Sri R.N. Pandey, Neel Bihar Colony, Ram Nagar Colony, Ayodhya
Date of Monitring - 31.05.2019
Sample Collected By - Rajendra Chaubey (S.A.), Ajay Singh (L.A.) & Vinod Kumar (L.A.)

Time :	10:30 - 18:30
Total Monitoring Duration Time	480 Minuts
Filter Paper No.	
Hourly Flow Rate (m³/minute)	1.22
	1.13
Average Flow Rate (m³/minute)	1.17
Total operation Time (Minutes)	350
Initial Weight of Filter Paper (gms.)	3.2532
Final Weight of Filter Paper (gms.)	3.4949
Dust Contents (gms.)	0.2417
Total Volume of Air Sampled (m³)	409.5
Concentration of RSPM (ug/m³):	590.23
24 Hourly Average PM₁₀ (ug/m³):	-
Remarks : Light Rainy Wheather	Standared :- 100 ug/m³
	Electricity cut-off 2:10 hours in period of monitoring

Dip. Jns
 (Scientific Assistant)

Ajay Singh
 (Regional Officer)



REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
AYODHYA

Annexure - 5

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING
DATA SHEET FOR PRATICULATE MATTER (Size less then 10 um) or PM₁₀

Name of Industry & Place - House of Sri R.N. Pandey, Neel Bihar Colony, Ram Nagar Colony, Ayodhya
Date of Monitring - 20.05.2020
Sample Collected By - Vinay Kumar (S.A.) & Ajay Singh (L.A.)

Time :	10:30 - 18:30
Total Monitoring Duration Time	480 Minuts
Filter Paper No.	
Hourly Flow Rate (m ³ /minute)	1.22
	1.15
Average Flow Rate (m ³ /minute)	1.18
Total operation Time (Minutes)	380
Initial Weight of Filter Paper (gms.)	3.2616
Final Weight of Filter Paper (gms.)	3.4729
Dust Contents (gms.)	0.2413
Total Volume of Air Sampled (m ³)	448.4
Concentration of RSPM (ug/m ³):	537.53
24 Hourly Average PM ₁₀ (ug/m ³):	--
Remarks: Light Rainy Wheather	Standared :- 100 ug/m ³
	Electricity cut-off 1:40 hours in period of monitoring

L.A. (Scientific Assistant)

(Regional Officer)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-6

Ref. No. U.P. 2324/C-6 (A) 344/रेलवे (एनडी) / 11/2020

Date. 28.12.2020

मा० एन०जी०टी० प्रकरण
ई-मेल द्वारा

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषय: माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 989/2018 शिवांस पाण्डे बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं 11.10.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.41570/सी-6/सा०-344/फैजा०/2019 दिनांक 19.09.2019 एच.42878/सी-6/सा०-344/फैजा०/2019 दिनांक 23.10.2019, एच.44196/सी-6/सा०-344/फैजा०/2019 दिनांक 25.11.2019 तथा एच.46130/सी-6/सा०-344/फैजा०/2020 दिनांक 09.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रेलवे साइडिंग फैजाबाद जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु० 91.20 लाख (रु० इक्यानवे लाख बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की वसूली करने का अनुरोध किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली के पश्चात् मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली को अवगत कराया जाना।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 03.03.2020 को नियत है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि रेलवे साइडिंग, फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 91,20,000/- (रु० इक्यानवे लाख बीस हजार) मात्र की भू-राजस्व की भाँति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(डा० बी०बी० अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :-

1. श्री प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट, बी-235, सेक्टर-19 नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

- 9 -

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
E-mail: info@unnch.com - Web Site: www.unnch.com

mail send
08/12/2020
11:58 PM



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No..... / सी-6 / सा0-344 / फैजा0 / 2020

पंजीकृत
9-1-20

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद- अयोध्या।

विषय:-माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा 989 / 2018 शिवांश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं दिनांक 11.10.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.41570 / सी-6 / सा0-344 / फैजा0 / 2019 दिनांक 19.09.2019, एच.42878 / सी-6 / सा0-344 / फैजा0 / 2019 दिनांक 23.10.2019 एवं एच.44196 / सी-6 / सा0-344 / फैजा0 / 2019 दिनांक 25.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट। करें, जिसके द्वारा रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 91,20,000 / - (रु. इक्यानवे लाख बीस हजार) मात्र की भू-राजस्व की भौति वसूली करने का अनुरोध किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली के पश्चात माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली को अवगत कराया जाना है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि रेलवे साइडिंग, फैजाबाद, जनपद- अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 91,20,000 / - (रु. इक्यानवे लाख बीस हजार) मात्र की भू-राजस्व की भौति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भयंशीय,

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

प्रतिलिपि:-

1. मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद- अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

3101
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

- 10 -

of km

T.C./12V, Vibhuti Khand Gomati Nagar, Luck now - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691

क्षेत्रीय कार्यालय

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411

Annexure-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-6

Ref. No. 44444 / सी-6 / ए.३४४/२०१९

Dated 25/11/19
अनुस्मारक-1

माननीय एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषय: माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 989/2018 शिवान्या पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं 11.10.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 41570/सी-6/सा०-344/फैजा०/2019 दिनांक 19.09.2019 एवं एच 42878/सी-6/सा०-344/2019 दिनांक 23.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 91,20,000/- (रू० इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भौति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। अग्रेतर माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० संख्या 989/2018 शिवान्या पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“.....Apart from not following the requirement of taking requisite consents, the Railway Administration at Faizabad is not following the measures to be adopted at loading/unloading points. It can be inferred that at other locations of railway sidings and good sheds, there may be similar situation. This needs to be checked by an appropriate mechanism to be evolved by the Railway Board. The Additional DRM (Operations) Lucknow present before this Tribunal has made a statement that necessary steps for enforcing the law and necessary safeguards will now be taken within one month. The officer may take the steps and file his report before this Tribunal and also before the Railway Board. The Railway Board may compile appropriate information with regard to other such locations and furnish a comprehensive report. The Railway Board may depute a suitable senior officer with the compliance report on the next date.”

In the meanwhile, the SPCB may take steps for recovery of the assessed compensation and for enforcing the law, including prosecution.

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अनुरोध है कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 91,20,000/- (रू० इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भौति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि उक्त प्रकरण माननीय अधिकरण में दिनांक 20.12.2019 को नियत है।

भवदीय,

प्रमुख - सहायक,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

लिपि :-

1. जनरल मैनेजर, नार्दन रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

- 11 -

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

RPM



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं०
Ref. No. : 1624/MCT/OA No. 989/2018/2019

दिनांक :
Dated : 07/12/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद अयोध्या

विषय- माननीय एनओजीएटीओ, नई दिल्ली में विचाराधीन ओओएओ संख्या 989/2018 शिवांस पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उओप्रओ में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं दिनांक 11.10.2019 के अनुपालन के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H41570/सी-6/साओ-344/फैजा/2019 दिनांक 19.09.2019 एवं H42878/सी-6/साओ-344/2019 दिनांक 23.10.2019 तथा H-44176/सी-6/साओ-344/2019 दिनांक 25.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि माओ अधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 के अनुपालन में रेलवे साइडिंग, फैजाबाद जनपद अयोध्या के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि 91,20,000/- (रु० इक्यान्वे लाख, बीस हजार मात्र) बोर्ड के खाता संख्या 701502010002104 आई.एफ.सी. कोड यू.वी.आई.एन. 0570150 में जमा करने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 39465/सी-6/साओ-344/19 दिनांक 31.07.2019 एवं पत्रांक एच 41011/सी-6/साओ-344/2019 दिनांक 06.09.2019 द्वारा स्टेशन अधीक्षक/माल अधीक्षक, रेलवे गोदाम फैजाबाद, जनपद अयोध्या को निर्देशित किया गया (पत्रों की छायाप्रति संलग्न)। परन्तु अभी तक रेलवे अधीक्षक/माल अधीक्षक, रेलवे गोदाम फैजाबाद, जनपद अयोध्या द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड में जमा नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 19.09.2019 एवं 23.10.2019 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु० 91,20,000/- (रु० इक्यान्वे लाख बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भांति वसूली करने का कष्ट करें जिससे माओ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार |

भवदीय

(स्वामी नाथ राम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

- 1- सदस्य सचिव, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
- 2- मण्डल रेल प्रबन्धक (घाणिज्य), उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल, लखनऊ |
- 3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
- 4- मुख्य विधि अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |

ef
Imp
8/12/19
SA/TC

Swami Nath
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 412/सी-6/सा0-344/2019

Dated 23/10/19

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवान्हा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं 11.10.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 41570/सी-6/सा0-344/फैजा0/2019 दिनांक 19.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 91,20,000/- (रू0 इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। अग्रेतर माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवान्हा पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“.....Apart from not following the requirement of taking requisite consents, the Railway Administration at Faizabad is not following the measures to be adopted at loading/unloading points. It can be inferred that at other locations of railway sidings and good sheds, there may be similar situation. This needs to be checked by an appropriate mechanism to be evolved by the Railway Board. The Additional DRM (Operations) Lucknow present before this Tribunal has made a statement that necessary steps for enforcing the law and necessary safeguards will now be taken within one month. The officer may take the steps and file his report before this Tribunal and also before the Railway Board. The Railway Board may compile appropriate information with regard to other such locations and furnish a comprehensive report. The Railway Board may depute a suitable senior officer with the compliance report on the next date.”


In the meanwhile, the SPCB may take steps for recovery of the assessed compensation and for enforcing the law, including prosecution.

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे पुनः अनुरोध है कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 91,20,000/- (रू0 इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भाँति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि उक्त प्रकरण माननीय अधिकरण में दिनांक 20.12.2019 को नियत है।


भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. जनरल मैनेजर, नार्दन रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।


सदस्य सचिव
96/0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-6

Ref. No. 44/579 / सी-6/सा-344/पत्रांक/2019

Dated 19.9.19
ई-मेड द्वारा

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

विषय: माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवान्या पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 989/2018 शिवान्या पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“.....The report of the SPCB was considered vide order dated 27.05.2019 to the effect that SPCB had issued directions to the Railways to construct a covered shed and to undertake sprinkling of water to contain the air pollution, apart from adopting suitable safety norms in the course of loading/unloading. The SPCB was also directed to recover compensation on ‘Polluter Pays’ principle. Railway Board was required to apprise this Tribunal of the action taken within one month. SPCB has reported that compensation has been assessed. The same may be recovered in accordance with law.....”

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को रिकवरी करने हेतु बोर्ड को आदेशित किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय अधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 के अनुपालन में रेलवे साइडिंग, फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि 91,20,000/- (रु0 इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) बोर्ड के खाता संख्या 701502010002104 आई.एफ.सी. कोड यू.वी.आई.एन. 0570150 में जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एच 39465/सी-6/सा0-344/19 दिनांक 31.07.2019 एवं पत्रांक एच 41011/सी-6/सा0-344/2019 दिनांक 06.09.2019 द्वारा स्टेशन अधीक्षक/माल अधीक्षक, रेलवे गोदाम फैजाबाद, जनपद-अयोध्या को निर्देशित किया गया (पत्रों की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु अभी तक रेलवे अधीक्षक/माल अधीक्षक, रेलवे गोदाम फैजाबाद, जनपद-अयोध्या द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड में जमा नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 91,20,000/- (रु0 इक्यानवे लाख, बीस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भांति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि उक्त प्रकरण माननीय अधिकरण में दिनांक 11.10.2019 को नियत है।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

(ओशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. जनरल मैनेजर, नार्दन रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेलवे साइडिंग फैजाबाद, जनपद-अयोध्या के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

-14-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

सदस्य सचिव
9/9/19

Annexure 7
दिनांक - 26.06.2020

सेवा में

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण आधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, पारिकुमानागर्
रामनगर, अयोध्या (3050)

विषय: उ०रे० मालगोदाभ 10 न. साइडिंग पर उड़ रही
खीमेट, धूल का निराकरण अब तक नहीं हो पाने
के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में आपसे साफरशुद्ध

निकेदन हे। कि हम प्राचीन गण नील विहार, रामनगर
फँजावाड़ के निवासी गण कई वर्षों से मालगोदाभ
से उड़ने वाली धूल एवं खीमेट से काफी पीड़ित
हैं। इस संदर्भ में आपके कार्यालय को कई

ABB (O/R)

26.06.2020

बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। आननीय न्यायल
राष्ट्रीय हरित अभिकरण (N G A) ने भी रेलवे
प्रशासन को इस प्रकार के संदर्भ में निराकरण
के लिए निर्णय दिया है परन्तु रेलवे मालगोदा
से संबंधित अधिकारियों ने अभी तक कोई
प्रभावी कदम नहीं उठाया है। सिर्फ
स्टील के कुदों खीमेट लगाकर और

कुल पृष्ठ-3

-15-

पृष्ठ-2

ऑपचारिका पूर्ण की थी मद्येप उस काण निवासी
 गणों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो
 रहा है। रेलवे प्रशासन प्रदूषण की रोकथाम
 करने के बजाय कालोनी कारियों का उत्पीड़न
 कर रहा है। आक डाकन के दौरान इतनी धूल
 की समस्या बढ गयी कि घरों में रहना मुश्किल
 हो गया। वरसात के समय जोड़ी राहत मिलती
 नहीं तो प्रतिदिन की अनलोडिंग हम सभी
 के लिए बड़ी चुनौती बन गयी है।

आपसे साक्षर निकेदन है कि प्रदूषण
 की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए
 आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
 हम सभी कालोनी वासी आपके आभारों में

प्राथमिकता

- (1) सचिव प्रशासकीय/एन सीटी/ईएल
- (2) Ritesh
- (3) Yogesh
- (4) Ghanshyam Verma
- (5) Neha Chohan
- (6) ~~...~~
- (7) ~~...~~
- (8) अमजतराणी
- (9) नरेन्द्र वर्मा
- (10) ~~...~~
- (11) SCHA BHARPE

(11) अनिल सिंह

(12) राजेंद्र प्रसाद जीवात

(13) तेजा राव

(14) नरेंद्र

(15) मंगल

(16) सोहन

17 पार्वती

18. राज कुमार लखवानी

19 मधुराज राव

20 - शम्भू शरण सिंह

21 - राजेंद्र प्रसाद जीवात

22 - धर्मनिधि

23 - उषायादक

24 - राज मंगल पात

25 - Alok Singh